

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय): दिल्ली

संख्या / हिन्दी/केन्द्रीय/238/2022

दिनांक

16989-17204

27 MAY 2022

सेवा में,

माननीय विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पश्चिम, नई दिल्ली, पूर्व, उत्तर-पूर्व, शाहदरा, उत्तर,
उत्तर-पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण-पूर्व, दक्षिण-पश्चिम, राउज़ एवेन्यू
दिल्ली/नई दिल्ली।

विषय : कार्यालयी कामकाज में हिन्दी को बढ़ावा देने संबंधी दिल्ली सरकार से प्राप्त पत्र।
संदर्भ : कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा स्पीड पोस्ट
दिनांकित 12 अप्रैल 2022 के माध्यम से प्राप्त विभिन्न पत्र (सभी दिनांकित 04/04/2022)।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय एवं संदर्भानुसार सनिवेदन सूचित किया जाता है कि माननीय विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय), दिल्ली के आदेशानुसार आपको कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार से प्राप्त पत्रों की प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है। इन पत्रों के विषय व विवरण इस प्रकार हैं:-

1. नामपट्ट, सूचना पट्ट, रबड़ की मोहरें, मैन्युल प्रक्रिया संबंधी साहित्य, निमंत्रण पत्र, बैज, इशतहार, होर्डिंग, प्रवेश पत्र, पहचान-पत्र, यातायात संकेतों, यातायात संबंधी दिशा-निर्देशों, प्रपत्रों, परिपत्रों, भाषणों, स्मृति चिन्हों, लोगो, फाइल कवरों, बैनरों, लेखन सामग्री में हिन्दी का प्रयोग सुनिश्चित करवाने संबंधी।
पत्र संख्या फा.सं. 08(06)/2019-20/ क०सं० एवं भाषा/10-60 दिनांक 04/04/2022
2. सूचना के अधिकार अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत जानकारी प्राप्त करने के लिये हिन्दी में लिखे/हस्ताक्षरित पत्रों के उत्तर हिन्दी में सुनिश्चित करने संबंधी।
पत्र संख्या फा.सं. 08(06)/2019-20/ क०सं० एवं भाषा/76-100 दिनांक 04/04/2022
3. हिन्दी के प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में देने के संबंध में।
पत्र संख्या फा.सं. 08(06)/2019-20/ क०सं० एवं भाषा/151-200 दिनांक 04/04/2022
4. सरकारी भवनों, कार्यालयों तथा सड़कों के नामपट्ट हिन्दी के साथ-साथ उर्दू तथा पंजाबी भाषा में लिखने के संबंध में।
पत्र संख्या फा.सं. 08(06)/2019-20/ क०सं० एवं भाषा/216-266 दिनांक 04/04/2022
5. राजभाषा नियमावली, 1976 के उपबंधों के अनुसार दिल्ली सरकार के कार्यालयों में हिन्दी में कार्य सुनिश्चित करने का अनुरोध।
पत्र संख्या फा.सं. 08(06)/2019-20/ क०सं० एवं भाषा/271-320 दिनांक 04/04/2022
6. प्रत्येक विभाग द्वारा अपनी वेबसाइट राजभाषा हिन्दी में बनाए जाने के संबंध में।
पत्र संख्या फा.सं. 08(06)/2019-20/ क०सं० एवं भाषा/333-383 दिनांक 04/04/2022
7. दिल्ली सरकार के सभी विभागों में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग सुनिश्चित कराने का अनुरोध।
पत्र संख्या फा.सं. 08(06)/2019-20/ क०सं० एवं भाषा/404-460 दिनांक 04/04/2022

8. "दिल्ली राजभाषा अधिनियम, 2000" के कार्यान्वयन के संबंध में।
पत्र संख्या फा.सं. 08(06)/2019-20/ क०सं० एवं भाषा/471-521 दिनांक 04/04/2022
9. राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन।
पत्र संख्या फा.सं. 08(06)/2019-20/ क०सं० एवं भाषा/526-580 दिनांक 04/04/2022
10. दिल्ली सचिवालय स्थित विभागों में नामपट्ट, रबड़ की मोहरें, प्रक्रिया संबंधी साहित्य बैज, निमंत्रण-पत्र, इशतहार, होर्डिंग, प्रवेश पत्र, पहचान पत्रों, प्रपत्रों, परिपत्रों, भाषण, आदर्श वाक्यों, प्रतीक चिह्न (लोगो), फाइल कवरों, बैनरों, प्रदर्शिनियों, संगोष्ठियों, लेखन सामग्री, प्रचार सामग्री में हिन्दी का प्रयोग सुनिश्चित कराने संबंधी।
पत्र संख्या फा.सं. 08(06)/2019-20/ क०सं० एवं भाषा/581-592 दिनांक 04/04/2022

संलग्नक : उपरोक्त।


(मुकेश कुमार गुप्ता)

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (केन्द्रीय जिला),
सदस्य, केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति,
तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।

16989-17204

14.06.2021 - 14.06.2022

27 MAY 2022

संख्या/हिन्दी/केन्द्रीय/238/2022 दिनांक

पत्र की प्रतिलिपि संलग्नकों सहित सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु निम्नलिखित को प्रेषित की जाती है:-

- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय), तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
- समस्त न्यायिक अधिकारी, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली इस अनुरोध सहित कि उपरोक्त पत्र से आप अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को अवगत करवाएँ।
- समस्त नोडल अधिकारी, केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, जिला न्यायालय, केन्द्रीय, पश्चिम, नई दिल्ली, पूर्व, उत्तर-पूर्व, शाहदरा, उत्तर, उत्तर-पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण-पूर्व व दक्षिण-पश्चिम जिला, राउज एवेन्यू, दिल्ली/नई दिल्ली।
- समस्त अनुभाग, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
- समस्त वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक)/प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) एवम् अनुभाग प्रभारी, राजभाषा हिन्दी अनुभाग, केन्द्रीय, पश्चिम, नई दिल्ली, पूर्व, उत्तर-पूर्व, शाहदरा, उत्तर, उत्तर-पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण-पूर्व व दक्षिण-पश्चिम जिला, दिल्ली/नई दिल्ली।
- देख-रेख अधिकारी, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
- आहरण एवं संवितरण अधिकारी/लेखा अधिकारी, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
- वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक)/अनुभाग प्रभारी, सामान्य अनुभाग, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
- संबंधित कर्मचारी, वेबसाइट/लेयर्स, इस निर्देश के साथ इसे वेबसाइट/लेयर्स पर अपलोड करें तथा उक्त सूची के बिन्दु-6 पर उल्लिखित पत्र पर अपेक्षित कार्रवाई करें।
- श्री आशीष मिश्रा, अनुभाग अधिकारी (क०सं० एवं भाषा), कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार


अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (केन्द्रीय जिला),
सदस्य, केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति,
तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग,

सी-विंग, सातवां तल, आई.पी.एस्टेट, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।

फा.सं. 08(06)/2019-20/क0सं0 एवं भाषा / 10-60

दिनांक: 04/04/2020

सेवा में,

1. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली।
2. दिल्ली सरकार के अधीन सभी स्थानीय निकाय/बोर्ड/उपक्रम दिल्ली/नई दिल्ली।
3. आयुक्त पुलिस, पुलिस मुख्यालय, बहुमंजिला भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली।
4. विशेष आयुक्त, पुलिस (यातायात पुलिस), बहुमंजिला भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली।
5. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तीस हजारी न्यायालय परिसर, तीस हजारी, दिल्ली।

विषय: नामपट्ट सूचना पट्ट, रबड़ की मोहरे, मैन्युल प्रक्रिया संबंधी साहित्य, निमंत्रण पत्र, बैज, इशतहार, होर्डिंग, प्रवेश पत्र, पहचान-पत्र, यातायात संकेतों, यातायात संबंधी दिशा-निर्देशों, प्रपत्रों, परिपत्रों, भाषणों, स्मृति चिन्हों, लोगो, फाइल कवरों, बैनरों, लेखन सामग्री में हिन्दी का प्रयोग सुनिश्चित करवाने संबंधी।

महोदय,

आपका ध्यान उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 5.12.2007, 30.7.09, 4.1.2010, 30.4.2010, 26.7.2010, 14.01.2011 एवं 03.5.2011 को जारी परिपत्रों की ओर आकर्षित किया जाता है। इस विषय पर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 6.5.1996 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14013/2/96-रा0भा0 एवं दिनांक 24.5.1994 के कार्यालय ज्ञापन सं0 1/14013/8/94-रा0भा0ए0 -1 में भी इस विषय में स्पष्टतः उल्लेख हैं, लेकिन इस के बावजूद भी दिल्ली सरकार के कुछ विभाग/कार्यालय तथा उनके अधीन स्वायत्त निकाय/उपक्रम निष्ठापूर्वक इनका अनुपालन सुनिश्चित नहीं करवा रहे हैं। जो कि राजभाषा नियमावली, 1976 के नियमों के उपबंधों का पूर्णतः उल्लंघन है। अतः आपसे पुनः अनुरोध किया जाता है कि आप व्यक्तिगत रूचि लेकर विभाग के केयर टेकिंग से जुड़े कर्मचारियों/अधिकारियों से इसका अनुपालन सुनिश्चित करवाने का कष्ट करें।

भवदीय



(आशीष मिश्रा)

अनुभाग अधिकारी(क0सं0 एवं भाषा)

दिनांक: 04/04/2020

फा.सं. 08(06)/2019-20/क0सं0 एवं भाषा / 61-75

प्रतिलिपि निम्न को अग्रसारित :-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।
2. संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली-110 001 नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को उनके दिनांक 28 जुलाई, 2011 के अं0शा0 सं0 यू0 16012/27/2010-दिल्ली-1 के संदर्भ में।
3. सचिव सभी भाषा अकादमियां एवं साहित्य कला परिषद, डॉ0 गोस्वामी गिरधारी लाल प्राच्य विद्या प्रतिष्ठानम्, करोल बाग, दिल्ली/नई दिल्ली।
4. मुख्य मंत्री महोदय के निजी सचिव, दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली।
5. सभी मंत्रियों के निजी सचिव, दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली।
6. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, दिल्ली विधानसभा के निजी सचिव, दिल्ली सरकार, दिल्ली।



(आशीष मिश्रा)

अनुभाग अधिकारी(क0सं0 एवं भाषा)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, सातवां तल,
सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली ।

फा.सं. 08(06)/2019-20/क0सं0 एवं भाषा/76-100

दिनांक: 04/04/2019

सेवा में,

1. समस्त विभागाध्यक्ष, दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, स्थानीय निकाय, दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली।

विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत जानकारी प्राप्त करने के लिये हिन्दी में लिखे/हस्ताक्षरित पत्रों के उत्तर हिन्दी में सुनिश्चित करने संबंधी।

महोदय/महोदया,

सूचना के अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत जानकारी प्राप्त करने के लिये समय-समय पर दिल्ली सरकार के विभागों/कार्यालयों तथा इसके अन्तर्गत आने वाले स्थानीय निकायों के जनसूचना अधिकारियों के पास गणमान्य नागरिकों तथा अग्रणी संस्थाओं द्वारा हिन्दी में लिखे/हस्ताक्षरित आवेदन पत्र प्राप्त होते रहते हैं।

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि राजभाषा नियमावली, 1976 के नियम 5 के अनुसार हिन्दी में पत्र आदि का उत्तर, चाहे वे किसी भी क्षेत्र से प्राप्त हो, किसी भी राज्य सरकार, व्यक्ति या केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से प्राप्त हो, उसका उत्तर हिन्दी में दिया जाए। राजभाषा नियमावली, 1976 के नियम 10 (4) के अनुसार दिल्ली सरकार के अधिकारी/कर्मचारी हिन्दी में प्रवीण भी हैं और इसके आधार पर उनसे आशा की जाती है कि सूचना के अधिकार, 2005 के अन्तर्गत जानकारी प्राप्त करने के लिये हिन्दी में लिखे/हस्ताक्षरित पत्र के उत्तर हिन्दी में प्रारूप तैयार करके प्रस्तुत करें ताकि आवेदक को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत अपेक्षित जानकारी हिन्दी में उपलब्ध हो सके।

अतः आपसे अनुरोध किया जाता है कि कृपया अपने जनसूचना अधिकारी, सहायक सूचना अधिकारी तथा सूचना के अधिकार, 2005 संबंधी कार्य देख रहे सभी कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों को अनुपालन हेतु आवश्यक निदेश देने का कष्ट करें।

भवदीय

आशीष मिश्रा

(आशीष मिश्रा)

अनुभाग अधिकारी(क0सं0 एवं भाषा)

फा.सं. 08(06)/2019-20/क0सं0 एवं भाषा/ 101- 150

दिनांक: 04/04/2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ अग्रसारित :-

1. सचिव, माननीय उपराज्यपाल, राजनिवास मार्ग, दिल्ली ।
2. सचिव, माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली ।
3. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री/परिवहन मंत्री/वित्त मंत्री/श्रम मंत्री/समाज कल्याण मंत्री/खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री/स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली ।
4. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, 5वां तल, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली ।
5. पंजीयक, दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली ।
6. निदेशक, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली ।
7. उपायुक्त पुलिस (मुख्यालय), दिल्ली पुलिस मुख्यालय, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली को दिल्ली पुलिस के प्रत्येक उपायुक्त कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन को अनुपालनार्थ ।
8. आयुक्त, दक्षिण/उत्तर, दिल्ली नगर निगम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सैन्टर, मिन्टो रोड, नई दिल्ली ।
9. आयुक्त, पूर्व दिल्ली नगर निगम, 419, उद्योग सदन, पटपटगंज, औद्योगिकी क्षेत्र, दिल्ली-92.
10. हिन्दी अधिकारी, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्, पालिका केन्द्र, नई दिल्ली को परिषद् के प्रत्येक बड़े विभाग को अनुपालनार्थ ।
11. प्रबंधक, राजभाषा अनुभाग, दिल्ली परिवहन निगम, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली को प्रत्येक डिपो को अनुपालनार्थ । ।
12. महाप्रबंधक (प्रशासन), दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, शक्ति सदन, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली को प्रत्येक जोन को अनुपालनार्थ ।
13. निदेशक (प्रशासन एवं कार्मिक), दिल्ली जल बोर्ड, वरुणालय फेस-2, झण्डेवालान, नई दिल्ली को अनुपालन हेतु ।

आशीष मिश्रा

(आशीष मिश्रा)

अनुभाग अधिकारी(क0सं0 एवं भाषा)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, सातवां तल,
सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली ।

फा.सं. 08(06)/2019-20/क0सं0 एवं भाषा/15/200

दिनांक: 04/04/2022

सेवा में,

1. समस्त विभागाध्यक्ष, दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, स्थानीय निकाय, दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली।

विषय : हिन्दी के प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में देने के संबंध में।


महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय के संदर्भ में देखने का कष्ट करें। दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली राजभाषा अधिनियम, 2000 दिनांक 26.1.2004 से लागू किया जा चुका है जिसमें हिन्दी को प्रथम राजभाषा का दर्जा दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को प्रभावी रूप से लागू करने के लिये समस्त विभागों का दायित्व और भी बढ़ जाता है।

आपकी जानकारी में यह भी लाया जा रहा है कि हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर केन्द्रीय राजभाषा नियम 5 के अनुसार हिन्दी में ही दिया जाना अनिवार्य है। उपरोक्त के अलावा यदि दिल्ली की जनता किसी विभाग से उर्दू या पंजाबी में पत्र व्यवहार करती है तो दिल्ली राजभाषा अधिनियम, 2000 की धारा 4 (क) के अनुसार उसका उत्तर संबंधित भाषा में ही दिया जाना है और इसके कार्यान्वयन के लिये किसी प्रकार की कठिनाई हेतु इस विभाग से संपर्क किया जा सकता है।

आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त व्यवस्था के बारे में अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को आवश्यक निदेश देने का कष्ट करें।

भवदीय



(आशीष मिश्रा)

अनुभाग अधिकारी(क0सं0 एवं भाषा)

फा.सं. 08(06)/2019-20/क0सं0 एवं भाषा/201-215

दिनांक: 04/04/2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ अग्रसारित :-

1. सचिव, माननीय उपराज्यपाल, राजनिवास मार्ग, दिल्ली ।
2. सचिव, माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली ।
3. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री/परिवहन मंत्री/वित्त मंत्री/श्रम मंत्री/समाज कल्याण मंत्री/खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री/स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली ।
4. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, 5वां तल, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली ।
5. पंजीयक, दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली ।
6. निदेशक, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली ।
7. उपायुक्त पुलिस (मुख्यालय), दिल्ली पुलिस मुख्यालय, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली को दिल्ली पुलिस के प्रत्येक उपायुक्त कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन को अनुपालनार्थ।
8. आयुक्त, दक्षिण/उत्तर, दिल्ली नगर निगम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सैन्टर, मिन्टो रोड, नई दिल्ली ।
9. आयुक्त, पूर्व दिल्ली नगर निगम, 419, उद्योग सदन, पटपटगंज, औद्योगिकी क्षेत्र, दिल्ली-92.

OFFICE OF THE PRINCIPAL DISTRICT & SESSIONS JUDGE (HQs): DELHI
Office of the Chairperson: Election Committee (DBA Elections - 2022), THC, Delhi

10. हिन्दी अधिकारी, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, पालिका केन्द्र, नई दिल्ली को परिषद के प्रत्येक बड़े विभाग को अनुपालनार्थ।
11. प्रबंधक, राजभाषा अनुभाग, दिल्ली परिवहन निगम, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली को प्रत्येक डिपो को अनुपालनार्थ।।
12. महाप्रबंधक (प्रशासन), दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, शक्ति सदन, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली को प्रत्येक जोन को अनुपालनार्थ।।
13. निदेशक (प्रशासन एवं कार्मिक), दिल्ली जल बोर्ड, वरुणालय फेस-2, झण्डेवालान, नई दिल्ली को अनुपालन हेतु।
14. संबंधित कर्मचारी को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
15. गार्ड फाईल।

आशीष मिश्रा

(आशीष मिश्रा)

अनुभाग अधिकारी(क0सं0 एवं भाषा)

(6)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग,
सी-विंग, सातवां तल, आई.पी.एस्टेट, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।

फा.सं. 08(06)/2019-20/क0सं0 एवं भाषा/216 - 266

दिनांक: 04/4/2022

सेवा में,

1. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली।
2. आयुक्त, दक्षिण/उत्तर, दिल्ली नगर निगम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर, मिन्टो रोड, नई दिल्ली।
3. आयुक्त, पूर्व दिल्ली नगर निगम, 419, उद्योग सदन, पटपटगंज, औद्योगिकी क्षेत्र, दिल्ली-92.
4. महाप्रबंधक, दिल्ली परिवहन निगम, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली।
5. प्रबंध निदेशक, दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड, शक्ति सदन, कोटला मार्ग, नई दिल्ली।
6. उप-सचिव, दिल्ली विधानसभा सचिवालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली-54.
7. दिल्ली सरकार के अधीन सभी स्थानीय निकाय/बोर्ड/उपक्रम दिल्ली/नई दिल्ली।
8. आयुक्त पुलिस, पुलिस मुख्यालय, बहुमंजिला भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली।
9. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तीस हजारी परिसर, दिल्ली.

विषय: सरकार भवनों, कार्यालयों तथा सड़कों के नामपट्ट हिन्दी के साथ-साथ उर्दू तथा पंजाबी भाषा में लिखने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के संदर्भ में इस विभाग के दिनांक 17.03.2004 के समसंख्यक पत्र और दिनांक 25.4.2004 के अनुस्मारक पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिनमें दिल्ली राजभाषा अधिनियम, 2000 में पंजाबी व उर्दू भाषा के प्रयोग की व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही करने तथा राजभाषा अधिनियम के अनुसार सरकारी भवनों, सरकारी कार्यालयों के समस्त नामपट्ट हिन्दी के साथ-साथ उर्दू तथा पंजाबी में लिखवाने का अनुरोध किया गया था।

आपसे पुनः अनुरोध है कि दिल्ली राजभाषा अधिनियम 2000 में पंजाबी और उर्दू भाषा के लिये किये गये प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए समस्त सरकारी कार्यालयों, सरकारी भवनों के नाम पट्ट हिन्दी के साथ-साथ उर्दू तथा पंजाबी में लिखवाएं जायें। इस संबंध में किसी प्रकार की कठिनाई के लिये इस विभाग के अलावा सचिव, पंजाबी अकादमी, फोन संख्या 23616243, 23616265 तथा 23615979 और सचिव, उर्दू अकादमी का फोन संख्या 23830635-9 से भी संपर्क किया जा सकता है।

भवदीय

आशीष मिश्रा

(आशीष मिश्रा)

अनुभाग अधिकारी(क0सं0 एवं भाषा)

दिनांक: 04/4/2022

फा.सं. 08(06)/2019-20/क0सं0 एवं भाषा/267 - 270
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित :-

1. सचिव, उपराज्यपाल, राजनिवास मार्ग, दिल्ली।
2. सचिव, मुख्यमंत्री, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
3. सचिव, उपमुख्यमंत्री, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
4. मुख्य सचिव, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

आशीष मिश्रा

(आशीष मिश्रा)

अनुभाग अधिकारी(क0सं0 एवं भाषा)

(5)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, सी-विंग, सातवां तल,
आई.पी.एस्टेट, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।

फा.सं. 08(06)/2019-20/क0सं0 एवं भाषा/271-320

दिनांक: 04/4/2022

सेवा में,

1. समस्त विभागाध्यक्ष, दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, स्थानीय निकाय, दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली।

विषय: राजभाषा नियमावली, 1976 के उपबंधों के अनुसार दिल्ली सरकार के कार्यालयों में हिन्दी में कार्य सुनिश्चित करने का अनुरोध ।

महोदय/महोदया,

इस सरकार तथा इसके स्थानीय निकायों/उपक्रमों में राजभाषा नियमावली, 1976 के उपबंधों के अनुसार समय-समय पर दिल्ली की प्रथम राजभाषा में कार्य सुनिश्चित करने के लिये अनुरोध किया जाता रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार के अधिकतर विभागों के अधिकतर अधिकारी/कर्मचारी राजभाषा नियमावली, 1976 के उपबंधों के अनुरूप कार्य करने के प्रति गंभीर नहीं है।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि दिल्ली सरकार के प्रति अपने वैधानिक दायित्व का निर्वाह करते हुए सभी अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को राजभाषा नियमावली, 1976 के उपबंधों के अनुसार अपने कार्यालय कार्य हिन्दी में करने के लिये यथोचित निदेश देने का कष्ट करें। ताकि इस सरकार की भाषा नीति का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।

भवदीय

आशीष मिश्रा

(आशीष मिश्रा)

अनुभाग अधिकारी(क0सं0 एवं भाषा)

फा.सं. 08(06)/2019-20/क0सं0 एवं भाषा/321-332

दिनांक: 04/4/2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ अग्रसारित :-

1. सचिव, माननीय उपराज्यपाल, राजनिवास मार्ग, दिल्ली ।
2. सचिव, माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली ।
3. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री/परिवहन मंत्री/वित्त मंत्री/श्रम मंत्री/समाज कल्याण मंत्री/ खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री/स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली ।
4. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, 5वां तल, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली ।
5. पंजीयक, दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली ।

3

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग,
सी-विंग, सातवां तल, आई.पी.एस्टेट, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।

फा.सं. 08(06)/2019-20/क0सं0 एवं भाषा/333-383
सेवा में,

दिनांक: 04/4/2022

1. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली।
2. दिल्ली सरकार के अधीन सभी स्थानीय निकाय/बोर्ड/उपक्रम दिल्ली/नई दिल्ली।
3. आयुक्त पुलिस, पुलिस मुख्यालय, बहुमंजिला भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली।
4. विशेष आयुक्त, पुलिस (यातायात पुलिस), टौडापुर, नई दिल्ली।

ध्यानाकर्षण : सम्बद्ध जनसूचना अधिकारी/राजभाषा कार्यान्वयन अधिकारी।

विषय: प्रत्येक विभाग द्वारा अपनी वेबसाइट राजभाषा हिन्दी में बनाए जाने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 06.12.2012 एवं 03.9.2013 को जारी परिपत्र सं० 8(1)/2012-क0सं0 एवं भाषा/2720-2723 दिनांक 8.1.2012-क0सं0 एवं भाषा/1755-58 के संदर्भ में देखें (www.artandculture.delhigovt.nic.in)। इस परिपत्र के अनुसार राजभाषा भाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के वार्षिक कार्यक्रम के अन्तर्गत उल्लिखित निदेशों के अनुसार प्रत्येक विभाग को अपनी वेबसाइट अनिवार्य रूप से राजभाषा हिन्दी में बनाये जाने का उल्लेख था। पुनः आपसे अनुरोध है कि अपने विभाग की वेबसाइट राजभाषा हिन्दी में तैयार करने के लिये अविलम्ब कदम उठाये तथा इस विषय में अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी यथाशीघ्र इस विभाग को भेजने का कष्ट करें।

भवदीय

आशीष मिश्रा

(आशीष मिश्रा)

अनुभाग अधिकारी(क0सं0 एवं भाषा)

फा.सं. 08(06)/2019-20/क0सं0 एवं भाषा/384-403

दिनांक: 04/04/2022

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित :-

1. सचिव, माननीय उपराज्यपाल, राजनिवास मार्ग, दिल्ली ।
2. सचिव, माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली ।
3. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री/परिवहन मंत्री/वित्त मंत्री/श्रम मंत्री/समाज कल्याण मंत्री/खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री/स्वास्थ्य मंत्री एवं उनके सभी संसदीय सचिव, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।

(10)

4. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, दिल्ली सरकार, 5वां तल, ए-विंग, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
5. पंजीयक, दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली।
6. सभी भाषा अकादमियों, साहित्य कला परिषद्, गोस्वामी गिरधारी लाल प्राच्य विद्या प्रतिष्ठानम् के जनसूचना अधिकारी/राजभाषा कार्यान्वयन अधिकारी को उनके संबंधित सचिवों के माध्यम से।
7. निदेशक, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, लोक नायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली।
8. सहायक निदेशक (शिकायत), गृह मंत्रालय, भारत सरकार, एनडीसीसी-II भवन, बी-विंग, चौथ तल, जयसिंह रोड़, नई दिल्ली-01.
9. सत्र न्यायाधीश, जिला एवं सत्र न्यायालय, तीस हजारी।
10. विशेष सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा), दिल्ली सचिवालय के निजी सचिव को सूचनार्थ।
11. संबंधित कर्मचारी को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित।
12. गार्ड फाईल।

आशीष मिश्रा

(आशीष मिश्रा)

अनुभाग अधिकारी(क0सं0 एवं भाषा)

(11)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग,
सी-विंग, सातवां तल, आई.पी.एस्टेट, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।

फा.सं. 08(06)/2019-20/क0सं0 एवं भाषा/404-460

दिनांक: 04/4/2022

सेवा में,

1. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली।
2. दिल्ली सरकार के अधीन सभी स्थानीय निकाय/बोर्ड/उपक्रम दिल्ली/नई दिल्ली।
3. आयुक्त पुलिस, पुलिस मुख्यालय, बहुमंजिला भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली।
4. विशेष आयुक्त, पुलिस (यातायात पुलिस), बहुमंजिला भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली।
5. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तीस हजारी परिसर, दिल्ली।

विषय: दिल्ली सरकार के सभी विभागों में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग सुनिश्चित कराने का अनुरोध।

महोदय/महोदया,

कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के विभागों तथा उनसे जुड़े उपक्रमों/निकायों/संस्थानों में राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा नियमावली, 1976 एवं दिल्ली राजभाषा अधिनियम, 2003 के नियमों तथा इनके अन्तर्गत जारी आदेशों/निदेशों के उपबंधों के अनुसार अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा राजभाषा हिन्दी में कार्य न किए जाने संबंधी गणमान्य व्यक्तियों/सामान्य व्यक्तियों/कर्मचारियों से बार-बार पत्र प्राप्त होते रहते हैं और यह विभाग उन पत्रों का संतोषजनक उत्तर देने की स्थिति में नहीं पाता है। इस सरकार की दिनांक 14.01.2004 की अधिसूचना सं0 7 (9)/97-भाषा के अनुसार हिन्दी को दिल्ली की राजभाषा पहले ही घोषित किया जा चुका है परन्तु राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार किसी भी विभाग में अपेक्षित प्रतिशत कार्य राजभाषा में नहीं हो रहा है, जो विभागों की हिन्दी के प्रति उदासीनता को दर्शाता है।

जबकि दिल्ली सरकार के अधिकतर अर्थात् 80प्रतिशत से अधिक कर्मचारी/अधिकारी हिन्दी में प्रवीण है और लगभग सभी अधिकारी/कर्मचारी हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान भी रखते है। यह विभाग हिन्दी में प्रवीण अधिकारियों/कर्मचारियों से टिप्पण, प्रारूपण इत्यादि के लिए केवल हिन्दी का प्रयोग करने की आशा करता है जबकि वर्तमान स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। यहां तक कि हिन्दी में लिखे गए अथवा हस्ताक्षरित पत्रों तक का उत्तर भी जनसाधारण, गणमान्य व्यक्तियों, कर्मचारियों, स्वयं सेवी संगठनों/संस्थाओं आदि को अंग्रेजी में दिया जाता है। इस संबंध में राजभाषा नियमावली, 1976 के नियम 5 एवं नियम 7 (1) (2) एवं 7 (3) में स्पष्ट उल्लेख है जिसके उद्घरण अनुपालन हेतु निम्न प्रकार हैं :-

नियम 5 के अनुसार, नियम 3 और 4 में किसी बात के होते हुए भी हिन्दी में पत्रादि के उत्तर हिन्दी में दिये जायेंगे।

आवेदन, अभ्यावेदन आदि :- 7. (1) कोई कर्मचारी आवेदन अपील या अभ्यावेदन हिन्दी या अंग्रेजी में कर सकता है।

- (2) जब उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट कोई आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिन्दी में किया गया हो या उस पर हिन्दी में हस्ताक्षर किए गए हों तब उसका उत्तर हिन्दी में दिया जाएगा।
- (3) यदि कोई कर्मचारी यह चाहता है कि सेवा संबंधी विषयों (जिनके अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाहियां भी हैं) से संबंधित कोई आदेश या सूचना जिनका कर्मचारी पर तामिल किया जाना अपेक्षित है, यथास्थिति, हिन्दी या अंग्रेजी में होनी चाहिए तो वह उसे असम्यक विलम्ब के बिना उसी भाषा में दी जाएगी।

(11)

अतः आपसे पुनः अनुरोध किया जाता है कि राजभाषा नियमावली, 1976 के नियमों के सभी उपबंधों का कठोरतापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करवाने हेतु अपने अधीन सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को यथोचित निदेश देने का कष्ट करें।

भवदीय

आशीष मिश्रा

(आशीष मिश्रा)

अनुभाग अधिकारी(क0सं0 एवं भाषा)

फा.सं. 08(06)/2019-20/क0सं0 एवं भाषा/461-470

दिनांक: 04/04/2022

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित :-

1. मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार के विशेष कार्याधिकारी को सूचनार्थ।
2. अध्यक्ष, दिल्ली हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 31 उत्तरी परिसर नार्थ, राम कृष्ण आश्रम मार्ग, नई दिल्ली-01.
3. सचिव सभी भाषा अकादमियां एवं साहित्य कला परिषद, डॉ0 गोस्वामी गिरधारी लाल प्राच्य विद्या प्रतिष्ठानम्, करोल बाग, दिल्ली/नई दिल्ली।
4. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
5. मुख्य मंत्री महोदय के निजी सचिव, दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली।
6. सभी मंत्रियों के निजी सचिव, दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली।
7. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, दिल्ली विधानसभा के निजी सचिव, दिल्ली सरकार, दिल्ली।
8. सलाहकार (जनकल्याण), मुख्यमंत्री कार्यालय, जन शिकायत निवारण प्रकोष्ठ, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

आशीष मिश्रा

(आशीष मिश्रा)

अनुभाग अधिकारी(क0सं0 एवं भाषा)

13

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, सी-विंग, सातवां तल,
आई.पी.एस्टेट, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली

www.artandculture.delhigovt.nic.in

फा.सं. 08(06)/2019-20/क0सं0 एवं भाषा/471-521
सेवा में,

दिनांक: 04/4/2022

1. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालय
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, स्थानीय निकाय,
स्वायत्त संस्थाएं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार


विषय: "दिल्ली राजभाषा अधिनियम, 2000" के कार्यान्वयन के संबंध में।
महोदय/महोदया,

जैसाकि विदित है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने "दिल्ली राजभाषा अधिनियम-2000" के अन्तर्गत उर्दू एवं पंजाबी भाषा को दूसरी राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है। अतः अनुरोध है कि दिल्ली सरकार के सभी विभाग/कार्यालय निम्नलिखित अनुसार "दिल्ली राजभाषा अधिनियम-2000" को क्रियान्वित करें।

- (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सभी कार्यालयों द्वारा उर्दू या पंजाबी में आवेदन पत्र अथवा याचिकाएं प्राप्त करना और उनका उत्तर देना।
- (ख) महत्वपूर्ण सरकारी नियम, विनियम और राजपत्र अधिसूचनाओं के उर्दू और पंजाबी अनुवाद का भी प्रकाशन।
- (ग) सरकारी भवनों, सरकारी कार्यालयों तथा सड़कों आदि के नामपट्ट उर्दू तथा पंजाबी में भी लिखा जाना।
- (घ) उर्दू तथा पंजाबी के समाचार-पत्रों में महत्वपूर्ण सरकारी विज्ञापनों का भी प्रकाशन।
- (ङ) जहां कहीं आवश्यक हो विधानसभा की कार्यवाही उर्दू और पंजाबी में भी अभिलेखबद्ध की जाएगी तथा उर्दू एवं पंजाबी में भी साथ-साथ जारी की जाएगी।

उर्दू एवं पंजाबी भाषा संबंधी सहायता प्राप्त करने के लिए इस विभाग के दूरभाष संख्या 23392001-6 (इन्टरकॉम 3715) से संपर्क किया जा सकता है। अधिनियम की प्रति इस विभाग की वेबसाइट www.artandculture.delhigovt.nic.in से प्राप्त की जा सकती है।
कृपया इसे प्राथमिकता दें।

भवदीय


(आशीष मिश्रा)


अनुभाग अधिकारी(क0सं0 एवं भाषा)

दिनांक: 04/4/2022

फा.सं. 08(06)/2019-20/क0सं0 एवं भाषा/522-525

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित:-

1. सचिव, उपराज्यपाल दिल्ली, राजनिवास सचिवालय, राजनिवास मार्ग, दिल्ली।
2. सचिव, मुख्यमंत्री, दिल्ली, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
3. सचिव, उप-मुख्यमंत्री, दिल्ली, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
4. मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।



(आशीष मिश्रा)

अनुभाग अधिकारी(क0सं0 एवं भाषा)



(14)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, सी-विंग, सातवां तल,
आई.पी.एस्टेट, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।

फा.सं. 08(06)/2019-20/क0सं0 एवं भाषा/526-580
सेवा में,

दिनांक: 04/11/2022

1. समस्त विभागाध्यक्ष, दिल्ली सरकार तथा इसके अधीनस्थ समस्त स्थानीय निकाय ।
2. उपायुक्त (पूर्व, दक्षिण एवं उत्तर) दिल्ली नगर निगम, रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार ।
3. विशेष कार्याधिकारी, दिल्ली नगर पालिका परिषद्, पालिका केन्द्र, नई दिल्ली ।
4. महाप्रबंधक, दिल्ली परिवहन निगम, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली ।
5. उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, आई एन ए, नई दिल्ली ।
6. विशेष कार्याधिकारी, दिल्ली जल बोर्ड, वरुणालय फेस-2, झण्डेवालान, नई दिल्ली ।
7. विशेष कार्याधिकारी, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, यू.टी.सी.एस.बिल्डिंग, विश्वास नगर, दिल्ली ।

विषय: राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन ।

महोदय,

राजभाषा अधिनियम 1963 तथा उसके अन्तर्गत बनाई गई राजभाषा नियमावली 1976 के उपबंधों के अनुसार दिल्ली सरकार के समस्त विभागों में हिन्दी के अधिक से अधिक प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिये प्रत्येक विभाग में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया जाना जरूरी है । यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि दिल्ली राजभाषा अधिनियम 2000 दिनांक 26.1.04 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लागू हो चुका है जिसमें हिन्दी को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की प्रथम राजभाषा घोषित की गई है । ऐसी परिस्थितियों में समस्त विभागों में हिन्दी की प्रगति के नियम के रूप में इसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है । यह समिति संबंधित विभागाध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित की जायेगी जिसमें संबंधित विभाग के समस्त अनुभागों के एक एक अधिकारी को उपरोक्त समिति में शामिल किया जायेगा ।

आपसे अनुरोध है कि यदि आपके विभाग में राजभाषा समिति गठित नहीं की गई है तो उसका ऊपरलिखित बताये गये निदेशों के अनुसार के अनुसार समिति का गठन करके उसकी सूचना 15दिन के भीतर अर्थात् 27.9.04 तक इस विभाग को भिजवाने का कष्ट करें ।

भवदीय,

आशीष मिश्रा

(आशीष मिश्रा)

अनुभाग अधिकारी(क0सं0 एवं भाषा)

(15)

(15)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग,
सी-विंग, सातवां तल, आई.पी.एस्टेट, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।

फा.सं. 08(06)/2019-20/क0सं0 एवं भाषा/581-592

दिनांक: 04/04/20

सेवा में,

अधीक्षक/प्रभारी केयर टेकिंग/स्टेशनरी क्रय शाखा के प्रभारी/अधीक्षक

1. सामान्य प्रशासन विभाग
2. योजना विभाग
3. सतर्कता निदेशालय
4. शहरी विकास विभाग
5. वेतन एवं भुगतान कार्यालय
6. विधि व न्याय विभाग
7. प्रशासनिक सुधार विभाग
8. पर्यावरण विभाग
9. ऊर्जा विभाग
10. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
11. सूचना प्रौद्योगिकी

विषय: दिल्ली सचिवालय स्थित विभागों में नामपट्ट, रबड़ की मोहरें, प्रक्रिया संबंधी साहित्य बैज, निमंत्रण-पत्र, इशतहार, होर्डिंग, प्रवेश पत्र, पहचान पत्रों, प्रपत्रों, परिपत्रों, भाषण, आदर्श वाक्यों प्रतीक चिह्न (लोगो), फाइल कवरों, बैनरों, प्रदर्शिनियों, संगोष्ठियों, लेखन सामग्री, प्रचार सामग्री में हिन्दी का प्रयोग सुनिश्चित कराने संबंधी।

महोदय/महोदया

आपका ध्यान उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 5.12.2007, 30.7.2009, 4.1.2010, 30.4.2010, 26.7.2010, 14.01.2011, 3.5.2011 एवं 2.11.2011 को जारी परिपत्रों की ओर आकर्षित किया जाता है। उक्त विषय पर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 6.5.1996 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14013/2/96-रा0भा0 एवं दिनांक 24.5.1994 के का0ज्ञा0 सं0 1/14013/8/94- रा0भा0 ए-I में भी स्पष्ट उल्लेख है। लेकिन इसके बावजूद भी दिल्ली सचिवालय परिसर स्थित विभाग उक्त परिपत्रों तथा राजभाषा विभाग के उक्त ज्ञापनों का कड़ाई से अनुपालन नहीं करवा रहे हैं। यहां ऐसे विभाग राजभाषा नियमावली, 1976 के नियमों के अपने उपबंधों तथा इसके अधीन जारी आदेशों/निदेशों का पूर्णतः उल्लंघन कर रहे हैं, वहां वे अधीन कार्यालयों उपक्रमों/प्रतिष्ठानों में प्रेरणाप्रद संदेश नहीं दे पा रहे हैं और जिससे इस सरकार की भाषा नीति का अनुपालन नहीं हो रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप इस बारे में व्यक्तिगत रुचि लेकर अपने विभाग से संबंधित प्रचलित उक्त सभी प्रकार के उन प्रलेखों लोगो इत्यादि की पहचान करके विभाग के उच्च अधिकारियों की जानकारी में लाने का कष्ट करें, तत्पश्चात् जो प्रलेख इत्यादि हिन्दी में नहीं हैं उन्हें हिन्दी में प्रकाशित/तैयार करवाने इत्यादि में यथोचित आगामी कार्रवाई करके अपने भरपूर सहयोग से सरकार की भाषा नीति सफल बनाने में सहयोग करें।

भवदीय

आशीष मिश्रा

(आशीष मिश्रा)

अनुभाग अधिकारी(क0सं0 एवं भाषा)

(11)